कार्यालय संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा

2021-22

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध संजय गांधी स्मृति/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा एवं सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक में बायोमेडिकल वेस्ट के निष्पादन हेतु ई-निविदा(तृतीय आमंत्रण)

निविदा क्र- 26/2020-21

कीमत रू. 5000/-
(पांच हज़ार मात्र)

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई-निविदा क्र- 26/2020-21

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME	ENVELOPES
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	08.10.2021 11.00 AM	19.10.2021 05.00 PM	
2	BID SUBMISSION ONLINE	08.10.2021 11.00 AM	19.10.2021 05.00 PM	
3	MANDATORY SUBMISSION OPEN	21.10.2021 12.30 PM		
4	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	21.10.2021 12.35 PM	–	
5	FINANCIAL BID OPEN	पृथक से सूचना दी जावेगी।	–	

ईमेल:-jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662-242104

संपर्क:-07662-242104, 9179705483, 9644695933, 9425471040

पोर्टल् में ऑनलाईन अपलोड किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची-

1. धरोहर राशि रू; 150000.00(एक लाख पचास हजार रू मात्र) की ऑनलाईन जमा रसीद।
2. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एंव सील सहित(ऑनलाईन क्रय किया हुआ)
3. वित्तीय वर्ष 2018-19, 19-20 का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।(असेसमेंट ईअर 2019-20 एवं 2020-21)
4. वार्षिक टर्नओवहर संबंधी सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र(10.00 लाख वार्षिक से कम नही होना चाहिए वित्तीय वर्ष 2019-20
5. 100 रू; के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित नोटराइज्ड घोषणा पत्र।
6. जीव चिकित्सा अपशिष्ट निष्पादन कार्य का 02 वर्ष का अनुभव। सत्यापन हेतु कार्य आदेश की प्रति लगावें।
7. फर्म/संस्था की स्थापना के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
8. पैन कार्ड की छायाप्रति।
9. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।

10. ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी की छायाप्रति।

11. बायोमेडिकल वेस्ट के निष्पादन कार्य हेतु मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोड का प्राधिकार पत्र।

टीप- मांगे गए अनिवार्य दस्तावेज में से एक भी दस्तावेज कम पाए जाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

कार्य का विवरणः- चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक, संजय गांधी एंव सुपरस्पेशिलिटी चिकित्सालय से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को सोर्स(वार्ड) से इकट्ठा कर चिकित्सालय के बाहर **CBWTF** प्लाण्ट में निष्पादन करने संबंधी समस्त कार्य जिसमें केटेगरी वाईज कलर कोटेड कंटेनर एंव पॉली बैग रखना शामिल है। संजय गाधी चिकित्सालय में 800, गांधी स्मारक चिकित्सालय में 341 एवं सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक में 200 बेड संचालित हैं। बेड ऑक्यूपेंसी पीक सीजन को मिलाकर 85 प्रतिशत के लगभग होगी। कार्य का भुगतान अधिकतम 85 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी मानकर 1140 बेड प्रतिदिन का भुगतान प्रतिमाह देयक प्रस्तुत करने पर किया जावेगा।

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध संजय गांधी स्मृति/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा एवं सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक में बायोमेडिकल वेस्ट के निष्पादन हेतु ई-निविदा की नियम एंव शर्ते

1. संजय गांधी स्मृति/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा एवं सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक में बायोमेडिकल वेस्ट के निष्पादन हेतु_ हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट https://mptenders.gov.in/ पर आनलाईन भुगतान कर क्रय किए जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविदयालय रीवा की वेबसाईट http://www.ssmcrewa.com में भी देखा जा सकेगा।
2. ऑनलाईन निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएं स्वीकार नही की जावेंगी। निविदा फार्म की राशि रू. 5000.00 किसी भी दशा में वापसी योग्य नही है। अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही है।
3. निविदा की अमानत राशि रू **150000/-**(एक लाख पचास मात्र) का भुगतान पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किया जावेगा। निविदाकार को अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा। जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत होगी उससे अनुबंध करते समय कुल वार्षिक राशि का 5 प्रतिशत परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।

4. निविदा की अवधि तीन वर्ष होगी। कार्य संतोषजनक होने पर दोनों पक्षों की सहमति से निविदा अवधि आगामी 01 वर्ष के लिए बढाई जा सकेगी।
5. प्राइस बिड केवल ऑनलाईन एंव भारतीय मुद्रा में ही स्वीकार योग्य होगी।
6. प्राइस बिड भरने के पूर्व समस्त दस्तावेज एंव स्पेशिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ एंव समझने के पश्चात ही निविदा भरें।
7. निविदाकार को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एंव सील लगाना अनिवार्य होगा।
8. चिकित्सालय की क्रय समिति को किसी भी अथवा समस्त निविदाकारों की निविदा बिना कारण बताए अमान्य/निरस्त करने का अधिकार होगा।
9. निविदाकार को जीएमएच./एसजीएमएच/सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक के विभिन्न भवनों, वार्डों, मेडिकल परिसर(ओपीडी), समस्त आपरेशन थियेटर, पैथालॉजी, ब्लड बैंक, मर्चुरी से निकलने वाले जीव चिकित्सा अपशिष्ट(बायोमेडिकल वेस्ट) को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम 2016 एवं समय समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए चिकित्सालय के बाहर सीबीडब्ल्यूटएफ प्लाण्ट में निष्पादित करना होगा। बारकोड एंव जीपीएस ट्रेकिंग सिस्टम का उपयोग सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित समस्त् शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
10. प्रदूषण नियंत्रण नियम 2016 एवं समय-समय पर जारी दिशानिर्देश के तहत बायोमेडिकल वेस्ट के सेगरीगेशन के लिए चिन्हित स्थानों पर कलर कोटेड कंटेनर, पॉलीबैग निविदाकार द्वारा रखे जावेंगे। वार्ड में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय एंव अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा।
11. निविदाकार को शासकीय चिकित्सालयों में जीव चिकित्सा अपशिष्ट निष्पादन कार्य करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सत्यापन हेतु कार्यआदेश की प्रति एंव अनुभव प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
12. निविदाकार द्वारा किए गए कार्य का भुगतान देयक प्रस्तुत करने पर संयुक्त संचालक एंव् अधीक्षक की अनुशंसा पर अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय रीवा द्वारा मासिक आधार पर किया जावेगा। यदि कार्य संतोषजनक नही पाया जाता है तो संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक एवं अधिष्ठाता को मासिक आधार पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा। अर्थदण्ड की राशि नियत मासिक दर की 05 प्रतिशत तक हो सकेगी।

13. निविदा शर्तों का उल्लंघन करने की दशा में अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति एंव संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक को तीस दिवस की सूचना देकर निविदा समाप्त करने की कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

14. निविदा स्वीकृत होने की दशा में निविदाकार को निविदा स्वीकृत आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर उपरोक्त शर्तों के पालन हेतु रू. 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

15. निविदाकार को राज्य एंव केंद्र शासन अधिनियमों एंव श्रम कानूनों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रतिमाह देयक के साथ कर्मचारियों की उपस्थिति, किए गए भुगतान की सूची, ईपीएफ/ईएसआईसी/ चालान की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों को भुगतान उनके बैंक खातों में करना अनिवार्य होगा।

16. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय एवं स्वशासी समिति द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णय द्वितीय पक्ष को मान्य एंव बंधनकारी होगें।

17. निविदाकार द्वारा कार्य पर लगाए गए समस्त कर्मचारियों की सुरक्षा एंव उनके स्वत्वों के भुगतान का दायित्व निविदाकार का होगा। किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा देय नही होगी। कार्य पर लगाए गए कर्मचारियों के नाम, पते, आधार नंबर व मोबाईल नंबर की सूची उपलब्ध कराना होगा। कर्मचारियों को ड्रेस कोड का पालन करना होगा तथा ड्यूटी के समय कर्मचारियों को परिचय पत्र धारण करना होगा ताकि आसानी से पहचान की जा सके। कार्यावधि के दौरान कर्मचारियों में परिवर्तन करने पर लिखित रूप से सूचित करना अनिवार्य होगा।

18. निविदकार द्वारा दी गई कोई भी शर्त मान्य नही होगी।

19. निविदाकार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी भ्रामक या असत्य पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही के लिए बाध्य होंगे।

20. निविदाकार को 24 घंटे में कम से कम तीन बार बायोमेडिकल वेस्ट का उठाव करना होगा। तीनों पालियों में पॉलीबैग बदलने होंगे। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार उठाव करना होगा। प्रथम पाली में प्रातः 09.00 बजे के पूर्व सभी स्थानों से बायोमेडिकल वेस्ट का उठाव करना अनिवार्य होगा।

21. निविदाकार यदि स्वयं **CBWTF** प्लाण्ट का संचालक नही है, तो बायोमेडिकल वेस्ट के निष्पादन हेतु **CBWTF** प्लाण्ट संचालक का प्राधिकार पत्र जो निविदा जारी होने के दिनांक के बाद का हो लगाना अनिवार्य होगा। बिना प्राधिकार पत्र के निविदा अमान्य की जावेगी।

22. निविदाकार को केंद्र शासन/राज्य शासन एंव अन्य के द्वारा समय समय पर निष्पादन संबंधी जानकारी मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा साथ मासिक बायोमेडिकल वेस्ट संबंधी जानकारी चिकित्सालय की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाना होगा।

23. बायोमेडिकल वेस्ट के उठाव के पश्चात परिसर से तुरंत बाहर ले जाना होगा, परिसर के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट डंपिंग की अनुमति नही होगी। सेगरीगेशन प्रथम उठाव स्थल पर ही करना होगा।

24. उठाव हेतु लगाए जाने वाले कर्मचारी व त्रिपल कंटेनर ट्राली की संख्या उठाव स्थलों की संख्या के लिहाज से अनुपातिक होना चाहिए। संपूर्ण व्यवस्था की निगरानी अधीक्षक या उनके नामित प्रतिनिधि द्वारा की जावेगी। व्यवस्थाओं में आवश्यक परिवर्तन या किसी लापरवाही पर संज्ञान लिए जाने पर आवश्यक सुधार तत्काल करना होगा।

25. कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार नशे में कार्य करने/न करने की स्थिति के लिए निविदाकार पूण्र रूप से उत्तरादायी होंगे। निविदाकार को चिकित्सालय में एक सुपरवाईजर की नियुक्ति करनी होगी, जिनकी सेवाएं 24 घंटे उपलबध रहेंगी। मोबाईल 24 घंटे चालू रखना अनिवार्य होगा।

26. निविदाकार द्वारा प्रतिदिन उठाव किए गए केटेगरीवाईज वेस्ट की लॉगबुक संधारित करना होगा तथा देयक के साथ लगाना होगा। निविदा के संबंध में न्यायिक विवाद रीवा स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।

06/10/14

संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक,
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र

स.क्र	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकर के द्वारा टिक किया जावे		परीक्षण समिति द्वारा टिक् किया जावे	
1.	धरोहर राशि रू; 150000.00(एक लाख पचास हजार रू मात्र) की ऑनलाईन जमा रसीद।				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एंव सील सहित(ऑनलाईन क्रय किया हुआ)				
3.	वित्तीय वर्ष 2018-19, 19-20 का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।(असेसमेंट ईअर 2019-20 एवं 2020-21)				
4.	वार्षिक टर्नओवहर संबंधी सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र(10.00 लाख वार्षिक से कम नही होना चाहिए वित्तीय वर्ष 2019-20				
5.	100 रू; के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित नोटराइज्ड घोषणा पत्र।				
6.	जीव चिकित्सा अपशिष्ट निष्पादन कार्य का 02 वर्ष का अनुभव। सत्यापन हेतु कार्य आदेश की प्रति लगावें।				
7.	फर्म/संस्था की स्थापना के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।				
8.	पैन कार्ड की छायाप्रति।				
9.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।				
10.	ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी की छायाप्रति।				
11.	बायोमेडिकल वेस्ट के निष्पादन कार्य हेतु मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोड का प्राधिकार पत्र।				
12.	निविदाकार यदि स्वयं **CBWTF** प्लाण्ट का संचालक नही तो बायोमेडिकल वेस्ट के निष्पादन हेतु **CBWTF** प्लाण्ट संचालक का प्राधिकार पत्र जो निविदा जारी होने के दिनांक के बाद का हो				

<u>नोटः-</u> कृपया निर्धारित क्रम में ही दस्तावेज संलग्न करें। मांगे गए दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य अनावश्यक दस्तावेज न लगाए जावें।

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर..

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम...

संस्था का नाम एंव पूर्ण पता सील सहित...

(स्पष्ट अक्षरों में)

घोषणा पत्र(शपथ पत्र)

(100.00/-रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प् पर प्रस्तुत करें।

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूं/हैं।
2. मै/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूं/हैं।
3. मुझे/हमें मध्यप्रदेश शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नही किया गया है।
4. मैं/हम किसी भी ऐंसे कॉन्ट्रेक्टर जो कि म.प्र.शासन किसी भी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्ता हूँ और न ही उसके लिए कार्य करता हूं/करते हैं।
5. मेरे हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्त प्रस्तुत नही की गई है। यदि अन्य कोई शर्त प्रस्तुत की जाती है तो उसे अमान्य कर दिया जावे।
6. मेरा/हमारा श्यामशाह चिकित्सा महाविदयालय/जी.एम.एच./एस.जी.एम.एच. रीवा के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नही है।
7. मेरे/हमारे विरूद्ध राज्य/केंद्र सरकार को देय किसी भी प्रकार का कर बकाया नही है।
8. मेरे/हमारी संस्था के विरूद्ध न तो एफ.आई.आर. दर्ज है और न ही किसी सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और न ही सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है।
9. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है, असत्य पाए जाने पर मेरे विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

गवाह का नाम..................................निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के

१.. हस्ताक्षर..

२................................ निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम...........................

संस्था का नाम एंव पूर्ण पता सील सहित...

(स्पष्ट अक्षरों में)

प्राईस बिड केवल ऑनलाईन भरी जावे।

गांधी स्मारक चिकित्सालय, संजय गांधी स्मृति एवं सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक में बायोमेडिकल वेस्ट के निष्पादन हेतु

दर सूची

मैं/हम निविदा में लिखी शर्तों एंव नियम को स्वीकार करते हुए जीव चिकित्सा अपशिष्टों के निष्पादन हेतु निम्नानुसार दरें प्रस्तुत करता हूं।

स.क्र	विवरण	मासिक दर	जीएसटी
1.	जी.एम.एच./एस.जी.एम.एच. एंव सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक के विभिन्न वार्डों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के सोर्स से सेगरीगेशन हेतु केटगरीवाईज कंटेनर एंव पॉलीबैग लगाना एवं सोर्स से वेस्ट उठाकर चिकित्सालय के बाहर CBWTF प्लाण्ट में निष्पादित करने हेतु मासिक दर(बेड ऑक्यूपेंसी 1341 बेड का 85 प्रतिशत मानकर)		

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर..

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम..

संस्था का नाम एंव पूर्ण पता सील सहित..

(स्पष्ट अक्षरों में)